न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह।

विविध वाद संख्या–01/2019–20

विजय कुमार वर्मा वगै0 **बनाम** धर्मशीला देवी वगै0।

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई
05.04.2023	इस वाद की कार्रवाई आवेदक विजय कुमार वर्मा एवं मीरा सिन्हा द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर विविध वाद के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया। **प्रथम पक्ष ने लिखित आवेदन में तर्क दिया है कि :–** 1. गिरिडीह अंचल अन्तर्गत खाता नं0 109 प्लॉट नं0 1383 मौजा–मोहनपुर बकास्त जमीन है, जिसे तत्कालीन जमींदार ने लट्ठु कुम्हार को 22 डी0 जमीन बन्दोबस्त किया था तथा वर्तमान में उस जमीन पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा है। 2. यह कि उर्मिला देवी आवेदक नं0–01 (विजय कुमार वर्मा) की माँ तथा आवेदक नं0–02 (मीरा सिन्हा) की सास है एवं प्रतिवादी संख्या 01(धर्मशीला देवी) की माँ उर्मिला देवी ने रजिस्टर्ड डीड द्वारा 17.07.1989 को उक्त 22 डी0 जमीन लट्ठु कुम्हार के कानूनी उत्तराधिकारी भुवनेश्वर पंडित एवं भरत पंडित से क्रय किया। 3. उर्मिला देवी का मृत्यु तक उक्त 22 डी0 जमीन पर दखल रहा तथा वे अपने पीछे दो पुत्रों 1. विजय कुमार वर्मा एवं 2. संजय कुमार सिन्हा तथा एक पुत्री धर्मशीला देवी को छोड़कर चल बसी। संजय कुमार भी अपने पीछे अपनी पत्नी तथा एक नाबालिंग पुत्री को छोड़कर मर गये। 4. उर्मिला देवी द्वारा उक्त क्रय किये गये 22 डी0 जमीन के नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, गिरिडीह में आवेदन दिया गया, जो अभी लंबित है। 5. इसी बीच धर्मशीला देवी ने जीवलाल महतो (प्रतिवादी संख्या 02) के पक्ष में उक्त 22 डी0 जमीन को रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से बिक्री कर दिया। अपने रजिस्टर्ड डीड में धर्मशीला देवी ने गलत उल्लेख किया है कि वह उर्मिला देवी की एकमात्र संतान है। जबकि पूर्व में धर्मशीला देवी ने अपने दो भाईयों के साथ अन्य जमीन का बिक्री किया है। 6. उक्त रजिस्टर्ड डीड के आधार पर अंचलाधिकारी, गिरिडीह ने	

(प्रतिवादी संख्या–02) जीवलाल महतो के पक्ष में 22डी0 जमीन का नामांतरण कर दिया जबकि जीवलाल महतो का न तो उक्त जमीन पर अधिकार है और न ही दखल–कब्जा है।

7. अंचल अधिकारी, गिरिडीह का आदेश गलत एवं नियम के विरूद्ध है क्योकि जब उर्मिला देवी का नामांतरण आवेदन लंबित है तो जीवलाल महतो के पक्ष में नामांतरण कैसे हो सकता है।

8. धर्मशीला देवी का सिर्फ वादगत 22 डी0 जमीन में $\frac{1}{3}$ हिस्सा ही बनता है, किन्तु उन्होंने वादगत सम्पूर्ण 22 डी0 जमीन बिक्री कर दिया जो अवैध है। अतः अंचलाधिकारी, गिरिडीह द्वारा नामांतरण वाद संख्या–1676-R27/2018–19 में दिये गये आदेश को खारीज किया जाय।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने तर्क के सर्मथन में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–02 ने अपने लिखित जवाब में तर्क दिया है कि :–

1) प्रथम पक्ष द्वारा दिया गया आवेदन समय बाधित एवं नियम के विरूद्ध है, अतः इसे खारिज किया जाना चाहिए।

2) वादी द्वारा पारा–01 में दिया गया तर्क सत्य है। यह बात सही है कि अंचल गिरिडीह, मौजा–मोहनपुर खाता नं0–109 प्लॉट नं0–1383 अन्तर्गत 22 डी0 जमीन लटु कुम्हार को बन्दोबस्त किया गया था तथा अपने जीवित काल में उनका वादगत जमीन पर दखल–कब्जा था।

3) आवेदन के पारा–02 में दिया गया तर्क आंशिक सत्य एवं आंशिक गलत है। यह सत्य है कि उर्मिला देवी की एकमात्र संतान धर्मशीला देवी है। आवेदक उर्मिला देवी का भाई नहीं है, जैसा कि आवेदन में दावा किया गया है। यह सत्य है कि उर्मिला देवी ने 22डी0 जमीन भुवनेश्वर कुम्हार एवं भरत पंडित से क्रय किया था जो लट्टु कुम्हार के उत्तराधिकारी थे। वादगत जमीन पर धर्मशीला देवी का दखल था जो उन्हें उनकी माँ उर्मिला देवी से प्राप्त हुआ था। वह अपनी माँ उर्मिला देवी की एकमात्र कानुनी उत्तराधिकारी थीं। आवेदक विजय कुमार वर्मा, धर्मशीला देवी के पिता हरिहर प्रसाद के पुत्र नहीं है। हरिहर प्रसाद की मृत्यु वर्ष–1958 के पूर्व हो चुकी थीं।

4) आवेदक द्वारा पारा–03 में दिया गया तर्क असत्य है। उर्मिला देवी की एकमात्र पुत्री धर्मशीला देवी है। अतः आवेदक द्वारा दिया गया

तर्क झुठा एवं तथ्यों के विरूद्ध है।

5) यह कि आवेदक के पिता का नाम भुवनेश्वर पाण्डेय है एवं उनकी माँ का नाम भी उर्मिला देवी है। आवेदक द्वारा जाली आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण–पत्र बनाकर झुठा एवं गैरकानूनी दावा किया जा रहा है। आवेदक विजय कुमार वर्मा एवं स्व0 संजय कुमार वर्मा का जन्म मोहनपुर, थाना नं0–271, थाना–गिरिडीह, अंचल–गिरिडीह, जिला–गिरिडीह में हुआ। उर्मिला देवी पति–भुवनेश्वर पाण्डेय ने ग्राम–मोहनपुर में 05 डी0 जमीन क्रय कर वहाँ पक्का मकान का निर्माण किया तथा आवेदक संख्या–01 विजय कुमार वर्मा ने यही जन्म लिया है। सभी ग्रामवासी भी इस तथ्य को जानते है।

6) आवेदक द्वारा पारा–04 एवं 05 में दिया गया तर्क पूर्णतः सत्य नहीं है। धर्मशीला देवी अपनी माँ उर्मिला देवी की एकमात्र कानुनी उत्तराधिकारी है। धर्मशीला देवी ने अपनी माँ (उर्मिला देवी) की मृत्यु के पश्चात् वादगत 22डी0 जमीन (प्रतिवादी संख्या–02) जीवलाल महतो को रजिस्ट्री डीड नं0–8740 दिनांक 23.08.2003 द्वारा बिक्री कर दिया। धर्मशीला देवी को उक्त जमीन बिक्री करने का पूर्ण अधिकार था तथा प्रतिवादी संख्या–02 (जीवलाल महतो) का उक्त 22 डी0 जमीन क्रय करने के पश्चात उसपर पूर्ण अधिकार/स्वामित्व है एवं उनका उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है।

7) आवेदक द्वारा पारा 06 में दिया गया तर्क सही नहीं है। प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा वादगत 22 डी0 जमीन क्रय करने के पश्चात अंचल अधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में उक्त जमीन के नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया था। अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा जांच–पड़ताल कर नियमों के तहत एवं वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी संख्या–02 (जीवलाल महतो) के पक्ष में नामांतरण किया गया एवं उनके नाम से लगान रसीद निर्गत किया जाने लगा। प्रतिवादी संख्या–02 द्वारा वर्तमान में भी सरकार को लगान भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त किया जा रहा है।

8) आवेदक द्वारा पारा–08 में दिया गया तर्क गलत/झुठा है, क्योंकि धर्मशीला देवी का अपनी माँ उर्मिला देवी की एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण उनकी सम्पति पर पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार था तथा वैधानिक रूप से उन्होंने वादगत जमीन प्रतिवादी संख्या–02 (जीवलाल महतो) को रजिर्स्टड डीड के माध्यम से बिक्री किया है।

9) प्रतिवादी संख्या–02 (जीवलाल महतो) के पास इस बात के पुख्ता

प्रमाण है कि उर्मिला देवी वर्ष–1958 के पूर्व विधवा हो गई थीं क्योंकि उनके पति–हरिहर प्रसाद की मृत्यु 1958 के पूर्व हो चुकी थी।

10) अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा नामांतरण वाद संख्या–1676/2018–19 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–02 के पक्ष में किया गया नामांतरण सही है तथा सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नामांतरण किया गया है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आदेश को यथावत रखा जाना चाहिए।

अतः अंचल अधिकारी द्वारा किया गया नामांतरण सहीं है एवं अपीलकर्त्ता द्वारा दिये गये आवेदन को खारीज किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है :–

1. अनुमंडल कार्यालय, बेलसंड (मोतीहारी) का प्रमाण–पत्र (क्रम सं0 295 दिनांक 27.11.2003) की प्रति।
2. मसो0 उर्मिला देवी के नाम से निर्गत खतियान की सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
3. मसो0 उर्मिला देवी द्वारा डीड नं0–0286 द्वारा क्रय किये जमीन की सत्यापित प्रति की छायाप्रति।
4. प्रतिवादी संख्या 02 (जीवलाल महतो) के पक्ष में धर्मशीला देवी द्वारा किये गये बिक्री से संबंधित डीड नं0–8740 की प्रति।
5. अंचल कार्यालय, गिरिडीह द्वारा नामांतरण वाद संख्या–1676-R27/2018–19 में (प्रतिवादी संख्या–02) जीवलाल महतो के पक्ष में निर्गत नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :–

प्रथम पक्ष विजय कुमार एवं अन्य के पिता भुवनेश्वर पाण्डेय है, जिनकी पत्नी का नाम उर्मिला देवी है, जबकि प्रतिवादी संख्या–01 (धर्मशीला देवी) के पिता का नाम हरिहर प्रसाद तथा उनकी माता का नाम भी उर्मिला देवी है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड (मोतीहारी) द्वारा प्रमाण पत्र दिया हैं कि हरिहर प्रसाद की एकमात्र सन्तान धर्मशीला देवी है। स्थानीय मुखिया द्वारा भी आवेदक विजय कुमार वर्मा के वंशावली का

सत्यापन किया गया है।

आदेश

उभय पक्षों के लिखित/मौखिक बहस उपलब्ध दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा दिय गये प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वादी विजय कुमार वर्मा एवं प्रतिवादी संख्या–01 (धर्मशीला देवी) के पिता अलग–अलग है। वादी (विजय कुमार वर्मा वगै0) के पिता का नाम भुवनेश्वर पाण्डेय है जबकि प्रतिवादी संख्या–01 (धर्मशीला देवी) के पिता का नाम हरिहर प्रसाद है। हरिहर प्रसाद की मृत्यु 1958 के पूर्व ही हो चुकी थी। अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 भाई–बहन नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड (मोतीहारी) द्वारा निर्गत सदस्यता प्रमाण–पत्र एवं अंचल अधिकारी, गिरिडीह के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि धर्मशीला देवी, हरिहर प्रसाद एवं उर्मिला देवी की एकमात्र संतान है तथा उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या–02 जीवलाल महतो को जमीन की बिक्री डीड नं0–8740 दिनांक 20.08.2003 के द्वारा की गई तथा उक्त डीड नं0–8740 दिनांक 20.08.2003 के आधार पर अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–1676/2018–19 में प्रतिवादी संख्या–02 जीवलाल महतो के पक्ष में किये गये नामांतरण स्वीकृति आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

अतः वादी (विजय कुमार वर्मा वगैरह) द्वारा प्रतिवादी संख्या–02 (जीवलाल महतो) के पक्ष में अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा नामांतरण वाद संख्या–1676-R27/2018–19 में किये गये नामांतरण को खारिज करने संबंधी दिये गये अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वादी इस निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/पुनरीक्षण वाद दायर कर सकते है। उक्त निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उभय पक्षों को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Satya Prakash
Date: 2023.06.22 16:06:35 +05:30
Location: 10.93.70.10

5/4/2023
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।

5/4/2023
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।